F. No. 14039/90/2014-UTS-I
भारत सरकार/Government of India
गृह मंत्रालय/Ministry of Home Affairs
(UTS-I Desk)
****

North Block, New Delhi-1.
Dated the 28 August, 2014

To,

Ms. Kanta Rani Pigoliya,
53/3, Nai Basti, Dewli,
New Delhi-110 062.

Sub: Information sought under Right to Information Act, 2005.

Sir,

Kindly refer to your RTI application dated 11.06.2014 (received in this Desk on 25.08.2014). The information sought by you is not available in UTS.I and UTS.II Sections of Ministry of Home Affairs. As such your application is being transferred to Commissioner of Police, Delhi u/s 6(3) of the Right to Information Act, 2005 for furnishing the requisite information directly to you.

2. The designated 1st Appellate Authority against the decision of Director (Services) and CPIO are as follows:

Shri Iqbal Singh Chahal,
Joint Secretary (UT),
Ministry of Home Affairs,
North Block, New Delhi-110 001.

Yours faithfully,

(Anuj Sharma)
Director (Services) & CPIO
Tel. No. 2309 2436

Copy to:
The Commissioner of Police, Delhi/The CPIO, MSO Building, IP Estate, New Delhi.

A copy of RTI application is **enclosed** for providing reply to the applicant directly on the relevant points.

(Anuj Sharma)
Director (Services) & CPIO
Tel. No. 2309 2436

o/c

To be issued in Hindi CR. 337074/ 25/8/14 (14

RTI Matter

No.24013/142/2014-SC/ST-W
Government of India
Ministry of Home Affairs

O/o Director (Service/MHA)
Dy. No. 247-RTI
Date 25.08.2014

UTS-I Desk/MHA 5th Floor, NDCC-II Building, Jai Singh Road,
Dy. No. 1734 New Delhi Dated the 14th August, 2014
Date 26/08/2014

To
Ms. Kanta Rani Pigoliya,
53/3, Nai Basti, Dewli ,
New Delhi-110062

Subject: - Reply to RTI application Ms. Kanta Rani Pigoliya, 53/3, Nai Basti, Dewli ,New Delhi under RTI Act-2005.

I am to refer to your RTI application dated 11-06-2014 (received by the answering CPIO on 31-07-2014) through CSR-III Section of CS Division which has been transferred by Deputy Secretary (HR) & CPIO, Ministry of Home Affairs for providing information on point no. 2 & 3 of your application under the Right to information Act, 2005 vide letter no. 15011/03/2014-HR-III (RTI) dated 03-07-2014. The point wise information is as under:

2. The subject matter is not pertaining to this Division, hence it is being transferred to UT Division, Ministry of Home Affairs under section 6 (3) (i) of RTI Act- 2005 for providing information to the applicant directly. We may request to the applicant to contact to the above mentioned authority for further information in this regard.

3. As per Seventh Schedule to the Constitution 'Police' and 'Public Order' are State subjects and as such, the primary responsibility of prevention, detection, registration, investigation and prosecution of crime, lies with the State Governments/Union Territory Administrations. However, Government of India is deeply concerned with the welfare of women and through various schemes and advisories to the State Governments/Union Territory Administrations, augments the efforts of the States/UTs. Periodic meetings are also conducted with States/UTs to improve co-ordination and obtain ground level information in this regard. The advisories are available in Ministry of Home Affairs website, http://www.mha.nic.in/ national_adv.

4. The Ministry of Home Affairs has taken several steps to strengthen the legislative framework to enable the implementing agencies to prevent incidents of crimes against women. The President of India on 2nd April 2013, has consented to the Criminal Law

Contd...2/-

RTI
US(UTS/I) DCPIO 25/8/14
SO(UTS-I) 25/08
Sh. Bhardwaj 25/8

(B

(Amendment) Act 2013, which has come into force since 3rd February, 2013, on crimes against women. The Government has amended various sections of the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure and the Indian Evidence Act. It has enhanced punishment for crimes like rape, sexual harassment, stalking, voyeurism, acid attacks, indecent gestures, words and inappropriate touch etc. The new laws have provisions for increased sentence for rape convicts, including giving upto life-term and even death sentence in certain circumstances, besides providing for stringent punishment for offences such as acid attacks, stalking and voyeurism.

5. Section 357A of the Code of Criminal Procedure stipulates that every State Government in consultation with the Central Government shall prepare a scheme for providing funds for the purpose of compensation to the victims of sexual assault and other assault cases. Ministry of Home Affairs is overseeing the notification and implementation of Victim Compensation Scheme by the States/UTs. Delhi Government has announced Victim Compensation Scheme.

6. As per Constitution of India, setting up of subordinate courts and Fast Track Courts for speeding up trial of cases relating to crime against women and children is the responsibility of the State Government. Union Government has written to the Chief Justice of the High Courts to constitute Fast Track Courts (FTCs) for speedy trial of pending rape cases in district/ subordinate courts having and to monitor the progress of these cases. The Chief Ministers of the States have been requested to provide financial support to the High Courts for setting up of FTCs for crime against women. A statement indicating the state-wise number of courts set-up for expeditious disposal of cases of crimes against women is enclosed at Annexure.

7. As per recommendations of the Conference of Chief Ministers and Chief Justice held on 7th April, 2013, Union Government has requested the State Governments and High Courts to consider setting up of Fast Track Courts (FTCs) for disposal of cases relating to offences against women, children, differently abled persons, senior citizens and marginalized sections of the society.

8. Government has requested the State Governments and the Chief Justice of High Courts to Utilize 10 % additional posts of judges being created in sub-ordinate judiciary in pursuance of the directions of Supreme Courts in Brij Mohan Lal Cases. Union Government has decided to provide funds upto maximum of Rs.80 crore per annum on a matching basis upto 31-03-2015 from the 13th Finance Commission Award for disbursement of salaries of the 10 % additional posts of judges to be created.

9. A Nirbhaya Fund was initiated by the Govt. of India to support initiatives by various Ministries, Departments and NGOs towards protecting safety, security and

Contd.. 3/-

dignity of women in India. Under the aegis of Nirbhaya Fund Ministry of Home Affairs was allotted Rs.321.69 crore for launching an integrated Computer Aided Dispatch(CAD) platform for supporting Geographical Information System (GIS) Based Call Taking and Global Positioning System(GPS) based police vehicle dispatch function that will help to improve the efficiency in responding to women distress calls and provide speedy assistance.

10. As per the provisions of section 19 of RTI Act, 2005, the appellate Authority is Shri S. Suresh Kumar, Joint Secretary (CS), Ministry of Home Affairs, NDCC II Building, 5th Floor, Jai Singh Road, New Delhi.

Encl.- As above

(K. Muralidharan)
Director (CS)& CPIO

Copy to: Director (Services) & CPIO,

1. ~~U.S. (Delhi) & CPIO~~, Ministry of Home Affairs, ~~NDCC II Building~~ North Block, New Delhi for appropriate action. It is request that information may be provided to applicant directly under RTI Act- 2005.
2. **Deputy Secretary (H.R.) & CPIO**, M.H.A, 4th Floor, NDCC-II Building, New Delhi with reference to their letter No. 15011/03/2014-HR-III (RTI) dated 03-07-2014 for information.

(11

GNP-32(R)

सं. ए-43020/01/2014-आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

****

नई दिल्ली, दिनांक : 1/7/ , 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री......कान्ता रानी पिंगोलिया......का आवेदन।

****

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री......कान्ता रानी पिंगोलिया......के दिनांक 11/6/2014 के आवेदन (इस मंत्रालय में प्रधान मन्त्री कार्यालय......से अंतरण द्वारा दिनांक / /2014 को प्राप्त) को......सी.एस. एवं पी.टी......प्रभाग को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

1311/DS(CHR)/14
2/7/14

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क प्रधान मन्त्री कार्यालय में दिनांक...../...../2014 की रसीद सं. ~~..........के तहत जमा कर दिया है (संलग्न)/ नहीं किया है क्योंकि वह बी पी एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।~~

संलग्नक : यथोपरि

सु. श्यामं
(एस. सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रेषित 2/7/2014 प्र.अ. (के.अ.रि.-III)

सेवा में

(1) निदेशक (एच. आर.), गृह मन्त्रालय, एन.डी.सी.सी. भवन, जयसिंह रोड, नई दिल्ली
(2) अवर सचिव (दि. पुलिस-II) गृह मन्त्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

....

....

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :

श्री/श्रीमती/सुश्री......कान्ता रानी पिंगोलिया,
53/3, नई बस्ती,
देवली, नई दिल्ली-110062

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

Transfer it to MHA.
3/7/2014

Right to Information

C 295235/HS/14
20.06.

PRIME MINISTER'S OFFICE

4451/RTI/MHA/2014
27/6/14

South Block
New Delhi-110 011

No. RTI/3288/2014-PMR

Dated: 19/06/2014

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Application under Right to Information Act, 2005.

An application dated 11/06/2014 received on 16/06/2014 from Ms Kanta Rani Pingoliya on the above noted subject is transferred under section 6(3) (ii) of the Right to Information Act, 2005, for action as appropriate.

Application fee has been received.

(S.E. Rizwi)
Deputy Secretary and
Central Public Information Officer
Phone: 2307 4072

HS has seen.
23/6
JS(A)

Home Secretary
Ministry of Home Affairs
North Block, New Delhi – 110 001

Points 2 & 3

24/6/14

Copy by Registered AD to:

DS(E)

Ms Kanta Rani Pingoliya
53/3, Nai Basti
Devali, New Delhi - 110 062

You are advised to approach the above public authority for further information regarding the matter. Response in respect of this office, if any, will be provided in due course. Further, in connection with your request for information within 48 hours, it is clarified that the nature of information sought do not constitute substantive grounds for invoking the proviso to Section 7(1) of the Act viz the life & liberty clause under the Act and therefore, the application has been processed within the normal timeframe specified under the Act.

25/6
US RTI
SO(RTI)
26/6

Dir(SR)
US(DP II)

3288/14 - 18 June 14 - 3288/14

(9

PRIME MINISTER'S OFFICE
16 JUN 2014
DAK SECTION

सेवा में,

श्री मान् केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (RTI)
प्रधान मन्त्री कार्यालय, भारत सरकार,
साउथ ब्लाक, नई दिल्ली - 110011

पु० आ० सं० 423/ अधि नियम/14-15 दिनांक 11-6-14 नई दिल्ली - 62

विषय: - सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्राप्त करने हेतु।

महोदय,

श्री मती कान्ता रानी सिसोदिया 5313 नई बस्ती, देवली, नई दिल्ली - 110080 का प्रार्थना पत्र अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्राप्त करने के सम्बन्ध में, आपके कार्यालय को अग्रेषित कर रहे हैं।

आई पो सं०: 16 F 049545 रू० 10/- प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

प्रतिलिपि: -
श्री मती कान्ता रानी सिसोदिया
5313 नई बस्ती, देवली,
नई दिल्ली - 110080

URGENT
RTI ACT
Diary No. 18181
& Date 16/06/14
Last Date For 21/06/14

POST MASTER
H.S.G.I
Pushpa Bhawan Post Office
New Delhi-110062

IPO No. 16F 049545 ₹ 10/-

3973432

आर. पी.-3 (बड़ा)
R.P.-3 (Large)

रजिस्ट्री/पार्सल सूची/Registered/Parcel List

भेजने वाला/From

पाने वाला/To

डाक भार बकाया/Postage Due

क्रम सं० Sl. No.	वर्ग Class	संख्या No.	प्रेषण कार्यालय Office of Posting	वजन Weight	प्रभार बाकी Charge Due	क्रम सं० Sl. No.	वर्ग Class	संख्या No.	प्रेषण कार्यालय Office of Posting	वजन Weight	प्रभार बाकी Charge Due
1.						11					
2						12					
3						13					
4						14					
5						15					
6						16					
7						17					
8						18					
9						19					
10						20					

जोड़ (शब्दों में) Total (in words)

मामूली (मू.-दे. भी)/Ordinary (V.P. also)
पं. थै./R.B.
बीमा लिफाफा/पार्सल (वी. पी.)/Ins. Env./Parcel (V.P.)
बी. थै./I.B.
कुल जोड़/Grand Total
मनीआर्डर लिफाफा/M.O. Env.
सूचियां/Lists

प्रा. का. की तारीख-मोहर
R.O. Date-stamp

बीमा वस्तुओं के इन्दराज तसदीक किए।
Verified entries relating to insured articles.

प्रे. कार्या. की तारीख-मोहर
Date-stamp of D.O.

पोस्टमास्टर/प्रधान छटाईकार के हस्ताक्षर
Signature of the Postmaster/Head Sorter

प्राप्ति अधि. के हस्ताक्षर
R.O. Signature

प्रे. अधि. के हस्ताक्षर
D.O. Signature

MGIPF—393 Deptt. of Post/06—4,00,000 Pads.

18

-155-

(2)

(7)

कारवाई की है ?

प्रश्न नं: 4:- कृपया मुझे बतायें कि मेरे शिकायत पत्र में आरोपी बनाये गये पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने में आपका कार्यालय मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा और दोषी पुलिस अधिकारियों को बरखास्त/निलंबित करने के लिए आपके कार्यालय ने अब तक कोई आदेश पारित क्यों नहीं किया?

प्रश्न नं! 5!- कृपया मुझे बतायें कि अब कब तक दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश आपके कार्यालय से जारी कर दिये जायेंगे ?

प्रश्न क्र. 6!- कृपया मुझे बतायें कि वर्तमान में मेरा उपरोक्त शिकायत पत्र किस अधिकारी के पास है और यह उसे कब मिला तथा उसने इस दौरान उस पर क्या कारवाई की ?

प्रश्न नं: 7!- कृपया मुझे बतायें कि आपकी सरकार ने मुझे सुरक्षा, सम्मान एवं न्याय दिलाने के लिए अब तक किस-किस अधिकारी/विभाग को आदेश/निर्देश जारी किये हैं ? कृपया मुझे आदेशों की छाया प्रति उपलब्ध करायें।

As per Dak Input

निवेदिका/प्रार्थी

कान्ता

दिनांक- 11/6/2014

कान्ता रानी भिंगोलिया
53/3, नई बस्ती, देवली,
नई दिल्ली-110062
मो० 9871480301

6

157

सेवा में,

श्रीमान केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (R.T.I.)
प्रधान मंत्री कार्यालय, भारत सरकार,
साउथ ब्लाक, नई दिल्ली -110011

विषय :- सूचना का अधिकार कानून 2005 के तहत 48 घंटे में सूचना उपलब्ध कराने हेतु आवेदन।

महोदय,

कृपया मुझे निम्नांकित सूचना 48 घंटे में उपलब्ध करायें। यह सूचना मेरे जीवन एवं स्वतंत्रता से जुड़ी है। दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट एवं लापरवाह पुलिस अधिकारी बलात्कारी गैंग के साथ मिलकर मेरी हत्या कर सकते हैं। मैं इस मद हेतु बतौर शुल्क रु 10/- मूल्य का IPO 40049545 संलग्न कर भेज रही हूँ।

प्रश्न नं. 1 :- मैंने संलग्न (छाया प्रति) शिकायत पत्र दिनांक 28/5/2014 को थाना पालिया मेंट द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भिजवाया था। कृपया मुझे बतायें कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे उपरोक्त शिकायत पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की है?

प्रश्न नं. 2 :- कृपया मुझे बतायें कि आपकी सरकार ने गैंग रेप के आरोपी बुजुर्ग लोगों को खुला छोड़ देने के लिए दिल्ली पुलिस को कब और कौन से आदेश/निर्देश जारी किये हैं?

प्रश्न नं. 3 :- कृपया मुझे बतायें कि गैंग रेप पीड़िताओं की सुरक्षा, सम्मान और उन्हें त्वरित न्याय दिलाने के लिए आपकी सरकार ने अब तक क्या

Cont-2

May pl see
[illegible]

May be transferred to
[illegible]

MHA

DAU

अत्यावश्यक गैंग रेप केस

दिनांक 28/5/2014

(5

सेवा में,

श्री नरेन्द्र मोदी जी,

माननीय प्रधानमंत्री महोदय

भारत सरकार, नई दिल्ली

FAX SECTION 28/5/14

विषय : दलित युवती के साथ गैंग रेप करने वाले बलात्कारियों को पुलिस द्वारा खुला छोड़ देने, पीड़िता का थाने में नाजायज उत्पीड़न करने, पीड़िता को चमारी एवं वैश्या कहने, अपराधी की बेल अपलीकेशन की सूचना छुपाने, पीड़िता की पहचान सार्वजनिक कर देने, अपराधियों द्वारा पीड़िता को जान से मार देने की धमकी देने और पुलिस द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को गुमराह करने आदि अपराधों के संदर्भ में दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करवाने हेतू शिकायत पत्र।

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थिनी रैगर अनुसूचित जाति से है जबकि सभी बलात्कारी सर्वण जाति के दबंग एवं खतरनाक लोग हैं। अपराधियों ने गत् दिनांक 29 मार्च, 2014 को हौज खास नई दिल्ली में प्रार्थिनी को नशीला द्रव्य पिलाकर बेहोशी की हालत में उसके साथ गैंग रेप किया था और पुलिस में शिकायत करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी जो प्रार्थिनी ने उसी दिन घटना की सूचना पी.सी.आर. को 100 नं. पर सांय करीब 5 बजे कर दी थी। पीड़िता की शिकायत पर और अपराधियों द्वारा अपना अपराध स्वीकार कर लेने पर पुलिस ने थाना हौज खास में एफ.आई.आर. नं. 334/14 दिनांक 29/03/2014 पर धारा 376डी/506आई.पी.सी. का मुकदमा दर्ज किया था। जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

प्रार्थिनी को मुकदमा दर्ज करने से पहले थाना अधिकारी हौज खास नीरज कुमार, पी.सी.आर. कॉल अटेण्ड करने वाली महिला पुलिसकर्मी और पी.पी. ट्रामा सेंटर एम्स के एस.आई. रजनीश बगैरा ने 8-9 घंटे तक काफी डराया धमकाया और पीड़िता की जाति पूछी और उसे चमारी एवं वैश्या कहकर थाने में सार्वजनिक रूप से अपमानित किया और जब प्रार्थिनी पुलिस के दबाव में नही आई तो पुलिस ने अपराधियों को थाने में बुला लिया और उनके अपराध स्वीकार कर लेने पर प्रार्थिनी पर दबाव बनाया कि वह अपराधियों के साथ समझौता कर ले अन्यथा उसे किसी झूठे केस में बंद कर दिया जायेगा। नीरज कुमार, रजनीश और आई.ओ. एस. आई. रीता ने पीड़िता को 8-9 घंटे बंधक बनाये रखा और उससे गंदी एवं अभद्र भाषा में पूछताछ की और पीड़िता के परिजनों को भी पीड़िता से मिलने नहीं दिया और पीड़िता के

बार-बार कहने पर भी थाना अधिकारी ने पीड़िता को ईलाज एवं मेडिकल के लिए अस्पताल नहीं भेजा। पुलिस ने 8-9 घंटे तक पीड़िता को पानी तक नहीं पिलाया और उसके साथ गाली-गलोच एवं अभद्र व्यवहार किया गया। एस.एच.ओ. ने पीड़िता के बयान दर्ज करने से पहले काउंसलर या एन.जी.ओ. को भी मौके पर नहीं बुलाया और तनावग्रस्त हालत में ही अगले दिन पीड़िता का 164 का बयान एन.एम कोर्ट में अपने अनुसार लिखवा दिया जो पीड़िता अपने साथ हुए दुष्कर्म और दुष्कर्मियों के विषय में पूरी जानकारी माननीय एम.एम. साहिबा को नही दे पाई। पुलिस ने 164 का बयान लिखवाने से पहले पीड़िता को डराया धमकाया और कहा एम.एम को ज्यादा कुछ मत बताना जो हमने एफ.आई.आर. में लिख दिया है वही काफी है। आई.ओ. रीता ने एक सहअभियुक्त विकास को गिरफ्तार किया और मुख्य अपराधी राज नारायण मिश्रा, डा. चन्द्रप्रकाश रलिया, किशन चंद नारंग बगैरा को थाने से ही छोड़ दिया। अपराधी विकास की जमानत भी आई.ओ. ने करवा दी और जमानत की तारीख की सूचना भी पीड़िता को नही दी जिस वजह से जज साहब ने अपराधी विकास को जमानत पर रिहा कर दिया। आई.ओ. ने अपराधी विकास का रिमांड भी नही मांगा और न अपराधी से यह पूछा कि अपराधियों ने पीड़िता का शोषण कहां-कहां और कब-कब किया। पुलिस ने मौका-ए-वारदात से सबूत भी इकट्ठे नही किये और पीड़िता का मेडिकल भी 8-9 घंटे बाद कराया। एस.एच.ओ. नीरज कुमार ने पीड़िता की पहचान सार्वजनिक कर दी और एफ.आई.आर. की कॉपी अपराधियों को देकर वह कॉपी पीड़िता के मौहल्ले में बंटवा दी जिस कारण पीड़िता और उसके परिवार को सामाजिक अपमान और जिल्लत झेलनी पड़ रही है। जब पीड़िता ने नीरज कुमार की शिकायत बड़े अधिकारियों से की तो नीरज कुमार ने केस डी.आई.यू. साऊथ को ट्रांसफर कर दिया जो डी.आई.यू. साऊथ के ए.सी.पी भरत सिंह जाखड़ ने पीड़िता को कहा हमारा काम किसी को गिरफ्तार करना नही है हम तो इस केस की केवल जांच कर रहे हैं तुमने यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। डी.आई.यू. साऊथ के पास इस केस को एक महिने से ज्यादा हो गया, डी.आई.यू. साऊथ ने अभी तक किसी भी मुल्जिम को गिरफ्तार नही किया है। इस दौरान 2 अपराधियों की अग्रिम जमानत की याचिका कोर्ट में दाखिल हुई जिनकी सूचना भी डी.आई.यू. साऊथ आई.ओ. मोनिका ने पीड़िता को नही दी और आज तक डी.आई.यू. साऊथ ने एक भी मुल्जिम का फोन तक सर्विलांश पर नही लगाया है। अपराधी पुलिस का संरक्षण पाकर सबूतों को नष्ट कर रहे हैं और प्रार्थिनी एवं उसके परिवार को खुले आम जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अपराधी राज नारायण मिश्रा, डा. रलिया, विकास और नारंग बगैरा केस वापस न लेने पर पीड़िता को बुरे अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं।

Cont -- 3

पुलिस का कहना है कि अपराधी किशन चंद नारंग और डा. चंद्र प्रकाश रेलिया बगैरा 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग हैं इसलिए वह रेप नहीं कर सकते और न उन्हें गिरफ्तार करने की जरूरत है।

महोदय यह अपराधी बुजुर्ग जरूर हैं लेकिन इनका एक पूरा गैंग है जो गरीब और धार्मिक किस्म की महिलाओं का बहला फुसला कर यौन शोषण करते हैं और पीड़िताओं की आर्टीफिशियल पैनिस का इस्तेमाल करके ब्लू फिल्म बना लेते हैं और फिर महिलाओं का मनमाना शोषण करते हैं और उनसे जबरदस्ती वैश्यावृती कराते हैं। इस गैंग में बहुत से धनी बुजुर्ग शामिल हैं जो संत आशाराम और उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण-दत्त तिवारी से उम्र में काफी छोटे हैं। आपको ज्ञात होगा कि नारायण दत्त तिवारी ने हाल ही में 89 वर्ष की उम्र में शादी की है और 82 वर्षिय आशाराम रेप केस में जोधपुर जेल में बंद है। 70 वर्षिय कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह 40 वर्षिय महिला से शादी कर रहे हैं। इससे पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन.टी.आर. 80 'वर्ष की उम्र में शादी करने का इतिहास बना चुके हैं। वर्तमान अपराधी भी उसी मानसिकता के पोषक हैं और आमतौर पर अपने से कमजोर महिलाओं का कामोत्तेजक दवायें खाकर शोषण करते हैं और अपनी ऊँची पहुंच और धन का इस्तेमाल करके पुलिस प्रशासन और कानून को खरीद रहे हैं। पुलिस का यह कहना कि पीड़िता ने शुरू में ही अपराधियों की शिकायत नही की इसलिए यह केस झूठा है। महोदय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसा बोल्ड और सत्यवादी व्यक्ति अपनी पोती मनु के साथ हुए बलात्कार की शिकायत अपने जीवन काल में पुलिस से नही कर पाये थे। पामेला एंडरसन जैसी विश्व विख्यात अभिनेत्री और जोयस मैयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय विद्वान अपने साथ हुए दुष्कर्म की शिकायत आज तक दर्ज नहीं करवा पाई हैं। अप्रैल 2011 में कोलाहपुर, महाराष्ट्र पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में ट्रेनिंग के दौरान बलात्कार का शिकार बनी दर्जनों महिला पुलिस ऑफिसर गर्भवती होने के बाद भी अपनी शिकायत दर्ज नहीं करवा पाई थीं।

महोदय वर्तमान केस में पीड़िता एक सामान्य महिला है जो 1-2 समाज सेवी संगठनों से

ड़ी है और उसकी जिंदगी में हुआ यह भयावह हादसा उसे मरने के लिए प्रेरित कर रहा है। ऊपर से भ्रष्ट पुलिस अफसर अपराधियों से रिश्वत खाकर पीड़िता का ही शोषण एवं उत्पीड़न कर रहे हैं और आज तक पुलिस ऑफिसर महिला के घर तक नहीं आये हैं उल्टा पीड़िता को ही बार-बार थाने और अदालतों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और खुली अदालत में जमानत अर्जी पर बहस के दौरान बचाव पक्ष के वकील खुले आम भरी अदालत में महिला को अपमानित करते हैं और अपराधियों की जमानत कराने के लिए महिला पर झूठे, फर्जी एवं मनगढंत इल्जाम लगाते हैं और फर्जी शिकायतों को कोर्ट में दिखाकर महिला को डेमोर्लाईज करते हैं जो न्यू एंटी रेप लॉ, एस.सी.एस.टी अत्याचार निवारण अधिनियम और मानव अधिकारों का खुला उल्लंघन है।

अतः श्रीमान् जी से अनुरोध है कि दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करायें और अपराधियों को तुरंत जेल भिजवाकर पूरे मामले की क्राईम ब्रांच से टाईम बाउंड जांच कराकर यथा शीघ्र चालान फाईल करायें।

भवदीय

[signature]

कान्ता रानी पिंगोलिया
53/3, नई बस्ती,
देवली, नई दिल्ली-110062
मो. 9871480301-9810611599

(5)

संलग्नक = 16